# न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया।

## आदेश

वाद सं0 एम0 09/2016 दिनांक 13/07/2016

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत।

**प्रथम पक्ष**– बुद्धदेव राम पिता लक्ष्मण राम ग्राम कामडारा बगैरह।

**बनाम**

**द्वितीय पक्ष**– कृष्णा राम पिता एतवा राम ग्राम कामडारा बगैरह।

वाद की कार्यवाही आवेदक बुद्धदेव राम पिता लक्ष्मण राम एवं सावित्री देवी पिता बुलबुल मांझी पति बुद्धदेव राम ग्राम कामडारा थाना कामडारा के द्वारा न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया में अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन दाखिल कि जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि द्वितीय पक्ष के (1) कृष्णा राम पिता एतवा राम (2) सुमती देवी रोहित मांझी (3) प्रभा देवी पति नन्द किशोर मांझी (4) सुगंती देवी पति अगस्त मांझी (5) छक्कर मांझी पिता शंकर मांझी (6) मुक्तेश्वर मांझी पिता शंकर मांझी सभी ग्राम कामडारा थाना कामडारा के द्वारा आवेदिका के भूमि मौजा कामडारा के खाता सं0 253 प्लॉट सं0 2324 रकबा 0.71 एकड़ को जबरदस्ती हल चला दिया दिये है, मना करने पर प्रतिवादी मारने पिटने एवं जान से मारने की धमकी देते है। जिसे प्रथम पक्ष डरे हुएं है एवं जान माल कि नुकसान की सम्भावंना है। आवेदन के अवलोकन के पश्चात विवादित भूमि को लेकर उभय पक्षों के द्वारा शांति भग होने की संभावना उत्पन्न हो रही है। उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। साथ ही अंचल अधिकारी, कामडारा से विवादित भूमि के संबंध में जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु पत्राचार किया गया जो प्राप्त है।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है जो निम्न प्रकार है।

**प्रथम पक्ष** के प्रधिकृत अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए लिखित एवं बहस से स्पष्ट किया है कि प्रथम पक्ष के मौजा कामडारा के खाता सं0 253 प्लॉट सं0 2324 रकबा 0.71 एकड़ झका तुर्री के नाम से खतियान में दर्ज है। **वंशावली निम्न है।**

झका तुर्री

नन्दा तुर्री — जटहा तुरी

(नन्दा तुर्री): बिरसा तुर्री — मेघु तर्री — राबड़ी देवी(पति मंगरा तुर्री)

(राबड़ी देवी): लक्ष्मण तुर्री — बहुरा तुर्री

(लक्ष्मण तुर्री): बुद्धदेव राम (प्रथम पक्ष) — शिव कु0 तर्री (मृत)

अनुमण्डल दण्डाधिकारी

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

Scanned by CamScanner

प्रथम पक्ष के कुर्सीनामा एवं द्वितीय पक्ष के कुर्सीनामा अवलोकन से स्पष्ट पता चलता है कि प्रथम पक्ष का कुर्सीनामा में जटहा तुर्री पिता झका तुर्री है एवं जटहा तुरी की मृत्यु नावल्द हुई है। द्वितीय पक्ष के कुर्सीनामा में जटहा तुर्री पिता झका तुर्री दाखिल है जबकि द्वितीय पक्ष के जटहा तुर्री के पिता का नाम छकन तुर्री है। जो कि खतियान से स्पष्ट है, उक्त भूमि का खतियान जटहा तुरी पिता झका तुरी के नाम पर है, चूकि जटहा तुर्री दो विभिन्न व्यक्तियों के नाम से और दोनो के पिता अलग अलग है लेकिन द्वितीय पक्ष तथ्य को छुपाते हुए जटहा तुर्री पिता झका तुर्री दर्शाते है जो गलत है दोनो के खतियान का मिलान से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष जटहा तुर्री व छकन तुर्री के वंशज है जो कि गलत तरीके से उत्ताधिकारी प्रमाण पत्र हासिल कर गलत करवाये है।

द्वितीय पक्ष के लोंगो से झका तुर्री का कोई संबंध नहीं है ये दूसरे परिवार से है।

प्रथम पक्ष विवादित भूमि पर शातिं पूर्वक दखलकार होकर जोत अवाद कर रहे है। वर्तमान में प्रथम पक्ष को जानकारी हुआ कि खाता सं0 253 प्लॉट सं0 2324 रकबा 0.71 में द्वितीय पक्ष के द्वारा गलत तरीका से रसीद कटवा रहा है तो प्रथम पक्ष के द्वारा आपत्ति की गई। द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के जमीन को गलत तरीके से उक्त विवादित भूमि को हड़पना चाहते है।

उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र का कोई भी कागजात द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जो द्वितीय पक्ष के दावे को संदेश के घेरे मालुम पडता है।

प्रथम पक्ष द्वारा निम्न कागजात दाखिल किया गया है।

~~(1) दाखिल खारिज की छाया प्रति।~~ 3/3/16

(2) लगान रसीद की छाया प्रति।

(3) उक्त विवादित भूमि का खतियान।

**द्वितीय पक्ष** के प्रधिकृत अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष लिखित एवं बहस से स्पष्ट किये है कि मौजा कामडारा के खाता सं0 253 प्लॉट सं0 2324 रकबा 0.71 एकड के साविक नाम जटहा तुरी एवं नन्दा तुरी पेशरान झका तुरी कौम तुरी के नाम से दर्ज है। यह कि विवादित जमीन में विपक्षीयों का बराबर से दखल है एवं पूर्वजों की है। तकरानी जमीन का सरकारी मालगुजारी रसीद चैता तुरी पिता अर्जून तुरी के नाम पर कटता है एवं लगान रसीद वर्ष 2016 तक का विपक्षी द्वारा कटाई गयी है । प्रथम पक्ष के द्वारा दी गई वंशवली बिलकुल झुठा है झका तुरी के दो लड़के हुए 1. जटहा तुरी 2. नन्दा तुरी नन्दा तुरी के दो लडके थे जो बचपन में ही मर गये नन्दा तुरी की एक बेटी थी राबडी देवी उसकी शादी मंगरा तुरी से हुआ था मंगरा तुरी के दो बेटे हुए 1. लक्ष्मण राम 2. बहुरा राम लक्ष्मण राम को बेटा बुद्धदेव राम जो इस वाद में आवेदक प्रथम पक्ष है। बहुरा राम का एक बेटा हुआ शिव कुमार राम वह मृत हो गया। इस तरह से आवेदक को अपने नानी के पिता नन्दा तुरी के जमीन पर कोई हक नहीं बनता है। आवेदक द्वारा झका तुरी के बेटा जटहा तुरी को नवल्द दिखा कर जमीन पर गलत दावा करते है जबकि जटहा तुरी के लम्बे वारिश है जो वंशवृक्ष से साबित होगा। आवेदक का न यह जमीन है न कभी था और न कभी दखल नहीं रहे है। खतियानी रैयत की **वंशावली निम्न प्रकार है।**

03/09/16

अनुमण्डल दण्डाधिकारी

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

Scanned by CamScanner

झका तुरी

जटहा तुरी — नन्दा तुरी

अर्जून तुरी — पवन तुरी

थोमता तुरी — इन्दर तुरी — बासुदेव तुरी — बनु तुरी

मोहन तुरी (सीरू) — बुद्धदेव तुरी — दुबे तुरी — एतवा राम(मृत) — शंकर राम(मृत) — विपत राम(मृत नावल्द)

नन्न किशोर राम — रोहित राम(मृत) — अगरस्त राम(मृत) — कृष्णा राम — मुक्तेश्वर राम — छक्कन राम

पत्नी प्रभा देवी — पत्नी सुमति देवी — पत्नी सुगन्ती देवी

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

द्वितीय पक्ष द्वारा निम्न कागजात दाखिल किया गया है।

(1) लगान रसीद की छाया प्रति।

(3) उक्त विवादित भूमि का खतियान।

**अंचल अधिकारी, कामडारा का जॉच प्रतिवेदनः–**

अंचल अधिकारी, कामडारा के पत्रांक 277/रा0 दिनांक 22/07/2016 के द्वारा उक्त विवादित भूमि का जॉच प्रतिवेदित प्राप्त है जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा कामडारा के खाता सं0 253 प्लॉट सं0 2324 रकबा 0.71 एकड भूमि का पंजी ॥ रैयत चैता तुरी वो इन्दरू पे0 अर्जुन वो बनु वो बासदेव तरुी पे0 फुचन तुरी है। पंजी ॥ Sucesstion case no 42/71–72 दर्ज है। उक्त जमीन का खतियानी रैयत जटहा तुरी वो नन्दा तुरी पे0 छक्कन तुरी है। विवादित भूमि पर दोनो पक्षों द्वारा हक दावा किया जा रहा है।

**थाना कामडारा का जॉच प्रतिवेदन :–**

थाना कामडारा के पत्रांक 912 /16 दिनांक 22/07/2016 के द्वारा उक्त विवादित भूमि के संबंध में जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसमें प्रतिवेदित किया गया है मौजा कामडारा के खाता सं0 253 प्लॉट सं0 2324 रकबा 0.71 एकड भूमि से संबंध में घटना स्थल पर जा कर खुले एवं गुप्त रूप से किया गया दोनो पक्षो से विवादित भूमि संबंधी कागजात की मांग की गई द्वितीय पक्ष उक्त जमीन से संबंधीत रसीद प्रस्तुत किया जिसमे रैयत का नाम चैता तरी बगैरह पे0 अर्जुन तुरी अंकित है एवं वंशावली की छाया प्रति प्रस्तुत किये द्वितीय पक्ष का कहना है कि प्रथम पक्ष के बहुरण के परिवार के लोंगो को साझा में खेती करने के लिए उक्त जमीन को दिया गया था जिसके एवज में जमीन में पैदा हुए अनाज का आधा हिस्सा प्रथम पक्ष के लोगों द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जाता था। द्वितीय पक्ष के लोंग अधीक परिवार होने के कारण अब खेत को साझा नहीं देकर अपने से खेती करना चाहते है। जॉच के कम में पता चला की बहुरण मांझी प्रथम पक्ष के खानदान के थे जिसके कारण बहुरण मांझी के परिवार के लोग पूर्व से आजतक खेती करते आ रहे है। इस वर्ष द्वितीय पक्ष उक्त जमीन पर हल चलाकर कब्जा करना चाहता है।

उभय पक्षों द्वारा दाखिल जवाब, कागजातो, बहस, थाना प्रभारी एवं अंचल अधिकारी कामडारा के जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि मौजा कामडारा के खाता सं0 253 प्लॉट सं0

03/08/16
अनुमण्डल दण्डाधिकारी

Scanned by CamScanner

24 रकबा 0.71 एकड भूमि की वंशावली उभय पक्षों द्वारा स्पष्ट नहीं है । प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के एक वंशज नंदा तुरी की वंशावली में है और दूसरे रैयत को नावल्द मृत बतलाते है जबकि द्वितीय पक्ष खतियानी रैयत के दूसरे पुत्र जटहा तुरी के वंशज स्वयं को बतलाते है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदनानुसार उत्ताधिकारी दाखिल खारिज द्वितीय पक्षकार की वंशावली को सत्य मानकर कर दिया गया है एवं तदनुसार लगातार भू–राजस्व की वसूली की जा रही है। प्रथम एवं द्वितीय पक्षकारों के बीच आपसी किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध होना भी बहस के दौरान नहीं बतलाया गया है। इस प्रकार लिखित बहस में भी दोनों पक्षकार यद्यपि एक ही खतियान प्रस्तुत करते है परंतु इनकी वंशवली से संबंधित स्थिति स्पष्ट नहीं है।

अतः वाद की कार्रवाई बिना गुण–दोष के समाप्त की जाती है।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया।
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया।
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)